न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – **श्री प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं० 706 / दावा / 2016
दायरा दि० 11 / 07 / 2016

उनवान

सत्यनारायण पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरामण्डवालान तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— वादी

बनाम्

1. शोनारायण पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर **(मृतक डिलिट)**
2. बलराम पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
3. दिनेशकुमार पुत्र बलराम जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
4. महावीर पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
5. सीताबाई पत्नि छीतरलाल जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
6. सीमा पुत्री छीतरलाल जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
7. मंजू पुत्री छीतरलाल जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
8. बद्रीलाल पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
9. भैरूलाल पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि० कंवरपुरामण्डवालान तह० खानपुर
10. राजस्थान राज सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़
11. उप पंजीयन अधिकारी खानपुर मिनी सचिवालय खानपुर
12. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक खानपुर

— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 एवं 53 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थित :— श्री संजय गौतम अधिवक्ता — वादी
श्री सुशीलकुमार शर्मा अधिवक्ता — प्रतिवादी नं० 1, 2, 3
श्री नरेंद्रकुमार नागर अधिवक्ता — प्रतिवादी नं० 4 लगा० 9

<u>निर्णय</u>

दिनांक 29 / 07 / 2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 91, 209 एवं 53 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कंवरपुरामण्डवालान की खतौनी सं०नई 300 पुरानी 288 की ख०नं० 990 की 0.11 बीघा, ख०नं० 991 की 1.04 बीघा, ख०नं० 992 की 1.14 बीघा, ख०नं० 993 की 0.14 बीघा, ख०नं० 994 की 0.04 बीघा, ख०नं० 995 की 1.05 बीघा, ख०नं० 996 की 0.11 बीघा,

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

ख0नं0 997 की 4.17 बीघा, ख0नं0 998 की 0.16 बीघा कुल 9 किता की 11.16 बीघा इसी प्रकार ग्राम सूमर की खतौनी सं0 नई 481 पुरानी 458 के ख0नं0 28 की 54.05 बीघा आराजी स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा यह वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी है, जो वादी के दादा माधो एवं प्रतिवादी 1 पिता माधो के जमाने से कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस पुश्तैनी आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा बनता है। आपस में कोई विवाद न हो इसलिये वादी के पिता प्रति0नं0 1 ने आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व अपनी इच्छा से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/6 हिस्से अनुसार कुल आराजी का पारिवारिक बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादीगण को संभला दिया था तब से ही वादी एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रति0नं0 1 काफी वृद्ध हैं, जो अक्सर बीमार रहते हैं, देखने सुनने की शक्ति भी काफी कमजोर हो चुकी है। प्रति0 2 लगा0 3 काफी होशियार हैं और वादी के पूर्वजों की आराजी को हड़पने की नियत रखते हैं। इन्होंने इसका फायदा उठाकर आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवा लिया है और बैंक से लेन देन अपने नाम करवा लिया है। दिनांक 25.06.2016 को जानकारी होने पर वादी ने केडिट कार्ड की राशि जमा करवाने को कहा तो लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये और धमकी दी कि जमीन प्रतिवादीगण के रेकार्ड में दर्ज है और उक्त सम्पूर्ण आराजी हमारे नाम दर्ज कराकर रहेंगे, यही वाद कारण है। वादी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है और इस आराजी के सिवा वादी के कोई आजीविका का साधन नहीं है। इसलिये जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रति0 1 लगा0 3 को पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी एवं उसके परिवार को भूखों मरने की नोबत आ जावेगी और वादी को काफी आर्थिक नुकसान होगा जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी फरमायी जावे कि ग्राम कंवरपुरामण्डवालान खतौनी सं0 300 की 9 किता की 11.16 बीघा एवं ग्राम सूमर की खतोनी सं0 481 की ख0नं0 28 की 54.05 बीघा आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा रेकार्ड खाते दर्ज फरमाया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वह भी वादी को दिलायी जावे। यदि प्रति0 1 लगा0 3 रेकार्ड में परिवर्तन करने में कामयाब हो जावे तो उसे शून्य घोषित कर रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 1 लगा0 3 की ओर से श्री सुशीलकुमार शर्मा एडवोकेट ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया तथा प्रति0 नं0 4, 5, 8, 9 की ओर से श्री नरेंद्रकुमार नागर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। प्रति0नं0 6, 7, 10, 11, 12 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। दौराने वाद प्रति0नं0 1 शोनारायण का देहान्त हो जाने एवं उसके वारीसान पूर्व से ही वाद में पक्षकार दर्ज होने से प्रति0नं0 1 शोनारायण का नाम वाद पत्र में डिलिट दर्ज किया गया। दिनांक 23.07.2019 को पक्षकारान ने अपने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया " उपरोक्त उनवानी का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें राजीनामा हो गया है जो निम्न प्रकार है :— यह कि माल ग्राम सूमर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ के खाता संख्या 481 के खसरा नम्बर 28 के 54.05 बीघा आराजी स्थित है, जिसमें वादी सत्यनारायण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 बलराम के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 ता 7 महावीर,

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

सीता, सीमा, मंजू के संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 8 बद्रीलाल का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 9 भैरूलाल का 1/5 हिस्सा विभाजन प्राप्त किया है।

यह कि प्रतिवादी कम 2 व 3 द्वारा अपने पिता/दादा स्वर्गीय श्योनारायण द्वारा प्रतिवादी नं0 2 व 3 को दान में दी गई आराजी माल ग्राम कंवरपुरामण्डवालान की खतौनी सं0नई 300 पुरानी 288 की ख0नं0 990 की 0.11 बीघा, ख0नं0 991 की 1.04 बीघा, ख0नं0 992 की 1.14 बीघा, ख0नं0 993 की 0.14 बीघा, ख0नं0 994 की 0.04 बीघा, ख0नं0 995 की 1.05 बीघा, ख0नं0 996 की 0.11 बीघा, ख0नं0 997 की 4.17 बीघा, ख0नं0 998 की 0.16 बीघा कुल 9 किता की 11.16 बीघा आराजी स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 2 व 3 के खाते दर्ज है जो खातेनुसार दर्ज रहेगी। उक्त आराजी में सड़क के सहारे पक्षकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल प्रत्येक के मकान 40 गुणा 50 वर्गफुट बने हुये है, जो यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पक्षकार महावीर, सीमा, मंजू, सीता का संयुक्त मकान अन्य पक्षकारान से छोटा है, जो उसी अवस्था में रहेगा अन्य पक्षकारान के बराबर के मकान की मांग नहीं करेगा। उक्त मकान की यथास्थिति अनुसार सरकारी व गैर सरकारी सुविधाऐं व मुआवजा का अधिकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल, महावीर, सीमाबाई, मंजूबाई, सीताबाई को प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें प्रतिवादी नं0 2 व 3 कमशः बलराम व दिनेश आपत्ति नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करेंगे।

यह कि माल ग्राम सूमर की खाता संख्या 481 के खसरा नम्बर 28 की 54.05 बीघा आराजी वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर से किसान केडिट कार्ड ले रखा है जिसका लेन देन प्रतिवादी कम 2 बलराम ने प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है जिसे बलराम व दिनेश संयुक्त रूप से अगले वर्ष 30.04.2020 तक आवश्यक रूप से जमा कर रहन मुक्त करवा देगा। यदि बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है तो वह प्रतिवादी कम 2 बलराम के हिस्से की आराजी पर होगी और यदि समय पर प्रतिवादी कम 2 व 3 रहन की राशि जमा नहीं करते हैं तो अन्य वादी प्रतिवादीगण को अधिकार होगा कि उक्त आराजी को रहन मुक्त करवाने के लिये इस राजीनामा के आधार पर समक्ष कार्यालय/न्यायालय में कार्यवाही कर उक्त ऋण को चुकाने के लिये बाध्य कर सकेंगे, जिसमें प्रतिवादी कम 2 व 3 तथा उसके अन्य वारीसान किसी प्रकार का उज्र या ऐतराज तथा झगड़ा टन्टा नहीं करेंगे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त राजीनामा के आधार पर निपटारा कर निर्णय व डिकी जारी की जाने का आदेश प्रदान करें। प्रस्तुत राजीनामा को पढ़कर सुनाया गया, जिसे पक्षकारान द्वारा सही एवं सत्य होना एवं राजीखुशी से इसे आलेखित कराना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा इस प्रकारण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम इस प्रकरण का निर्णय प्रस्तुत राजीनामा अनुसार करना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम सूमर के खाता संख्या 481 के खसरा नम्बर 28 के 54.05 बीघा

उपखण्ड अधिकारी

आराजी में वादी सत्यनारायण को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 बलराम को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 लगा0 7 महावीर, सीता, सीमा, मंजू को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 8 बद्रीलाल को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 9 भैरूलाल को हिस्सा 1/5 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। ग्राम कंवरपुरामण्डवालान की खतौनी सं0नई 300 पुरानी 288 की कुल 9 किता की 11.16 बीघा पूर्ववत प्रति0नं0 2 व 3 के खाते दर्ज रहेगी किन्तु उक्त आराजी में सड़क के सहारे पक्षकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल प्रत्येक के मकान 40 गुणा 50 वर्गफुट बने हुये है, जो यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पक्षकार महावीर, सीमा, मंजू, सीता का संयुक्त मकान अन्य पक्षकारान से छोटा है, जो उसी अवस्था में रहेगा। उक्त मकान की यथास्थिति अनुसार सरकारी व गैर सरकारी सुविधाऐं व मुआवजा का अधिकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल, महावीर, सीमाबाई, मंजूबाई, सीताबाई को प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें प्रतिवादी नं0 2 व 3 कमशः बलराम व दिनेश आपत्ति नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करेंगे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

डिक्री मुकद्दमात ईब्तदाई
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी– श्री **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 706/दावा/2016
दायरा दि0 11/07/2016

उनवान

सत्यनारायण पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरामण्डवालान तहसील खानपुर जिला झालावाड़

—— वादी

बनाम्

1. शोनारायण पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर **(मृतक डिलिट)**
2. बलराम पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
3. दिनेशकुमार पुत्र बलराम जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
4. महावीर पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
5. सीताबाई पत्नि छीतरलाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
6. सीमा पुत्री छीतरलाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
7. मंजू पुत्री छीतरलाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
8. बद्रीलाल पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
9. भैरूलाल पुत्र शोनारायण जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
10. राजस्थान राज सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़
11. उप पंजीयन अधिकारी खानपुर मिनी सचिवालय खानपुर
12. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक खानपुर

— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 एवं 53 आर.टी.एक्ट 1955</u>

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई **श्री संजय गौतम** एडवोकेट वादी रूबरू **श्री सुशीलकुमा शर्मा एडवोकेट** प्रति0 1, 2, 3 एवं **श्री नरेंद्रकुमार नागर एडवोकेट** प्रतिवादी 4 लगा0 9 जानिब मुद्दद्दालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :–

" वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम सूमर के खाता संख्या 481 के खसरा नम्बर 28 के 54.05 बीघा आराजी में वादी सत्यनारायण को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 बलराम को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 लगा0 7 महावीर, सीता, सीमा, मंजू को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 8 बद्रीलाल को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 9 भैरूलाल को हिस्सा 1/5 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। ग्राम कंवरपुरामण्डवालान की खतौनी सं0नई 300 पुरानी 288 की कुल 9 किता की 11.16 बीघा पूर्ववत प्रति0नं0 2 व 3 के

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

आराजी में वादी सत्यनारायण को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 बलराम को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 4 लगा0 7 महावीर, सीता, सीमा, मंजू को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 8 बद्रीलाल को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी कम 9 भैरूलाल को हिस्सा 1/5 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। ग्राम कंवरपुरामण्डवालान की खतौनी सं0नई 300 पुरानी 288 की कुल 9 किता की 11.16 बीघा पूर्ववत प्रति0नं0 2 व 3 के खाते दर्ज रहेगी किन्तु उक्त आराजी में सड़क के सहारे पक्षकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल प्रत्येक के मकान 40 गुणा 50 वर्गफुट बने हुये है, जो यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पक्षकार महावीर, सीमा, मंजू, सीता का संयुक्त मकान अन्य पक्षकारान से छोटा है, जो उसी अवस्था में रहेगा। उक्त मकान की यथास्थिति अनुसार सरकारी व गैर सरकारी सुविधाऐं व मुआवजा का अधिकार सत्यनारायण, बद्रीलाल, भैरूलाल, महावीर, सीमाबाई, मंजूबाई, सीताबाई को प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें प्रतिवादी नं0 2 व 3 कमशः बलराम व दिनेश आपत्ति नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करेंगे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)